प्रकरण संख्या 25/2022 श्रीमती मीठूबाई बनाम नाथू

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढेलाणा, तहसील आमेट में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 34 से 37 के मृतक पिता नन्दराम वल्द रूपजी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी नंबर 707, 706 व 709 स्थित है, जिन पर पहुंचने हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है, किन्तु प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 34 से 37 अपने उक्त खेतों पर पहुंचने के लिए ढेलाना की मुख्य सड़क से पश्चिम की तरफ मुड़कर उत्तर की तरफ जाने वाले रास्ते को प्रयुक्त कर रहे हैं। उक्त रास्ता आराजी नंबर 687, 688, 694, 700 व 701 की पूर्वी उत्तरी पाली से होकर अपनी कृषि भूमि में हमेशा पहुंचते रहे हैं, किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण जो कि उक्त आराजियात के खातेदार कृषक हैं, उनके द्वारा जानबूझकर रास्ता बन्द कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी के पास अपने खेतों पर पहुंचने हेतु इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी को अपने खेतों पर पहुंचने हेतु आराजी नंबर 687, 688, 694, 700 व 701 की पूर्वी उत्तरी पाली की ओर स्थिति 12 फिट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–08–2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 07–12–2022 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी दिनांक 30.11.2022 को अपने खेतों की पिलाई कर रहा था तभी पटवारी व अन्य अधिकारी मौके पर आये तथा बताया कि यह रास्ता सरकारी हो गया है। तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested

जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, फिर भी उनके द्वारा एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को विपक्षी संख्या 23 के रूप में संयोजित किया गया था, जिसकी तामिल अपीलान्ट को कभी नहीं हुई, जो आदेशिका के अवलोकन से ही स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2022 (3) पेज 1039 व आर.आर.टी. 2022 (2) पेज 1022 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा विपक्षी संख्या 21, 28 व 29 की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को होने के बावजूद उनके वारिसान की नामकायमी कराये बगैर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित करवा लिया है, जो आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1370, आर.टी. 2017 (2) पेज 1047, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1267 व 1289 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच बाबत् तहसीलदार आमेट को आदेशित किया गया, जिसकी कोई पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गयी है, न ही जांच रिपोर्ट बाबत् कोई सूचना संबंधित पक्षकार को दी गयी है एवं गुपचुप तरीके से अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान की अनुपस्थिति में मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के निर्देशानुसार पटवारी रिपोर्ट तैयार की गयी है। उक्त रिपोर्ट बनाते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधान व नियम 69 व 70 की अवहेलना की गयी है जो आर.आर.डी. 2018 पेज 290 व आर.आर.टी. 2022 (2) पेज 1066 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested

किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.08.2018 अनुसार विपक्षी संख्या 6, 9 व 23 की तलबी सम्मन पेश करने हेतु आदेश दिये गये, किन्तु उक्त दिनांक के बाद विपक्षी संख्या 23 अर्थात हाल अपीलान्ट के तलबी सम्मन पेश किये गये हों, ऐसा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता हैं। हालांकि उक्त दिनांक 29.08.2018 को न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2018 को जारी सम्मन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न है, किन्तु उक्त सम्मन के पीछे अंकित किया हुआ है कि ''श्रीमती मीठूबाई पत्नी सोहनलाल जी सुथार हाल निवास ढेलाणा नहीं होकर वो फूफाडीयां गांव में रहते हैं।'' जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की अधिनस्थ न्यायालय में प्रोपर तामिल नहीं होने के कारण उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.08.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं उसे सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 03.04.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर